

राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ

प्रलिस के लयः

राज्यपाल से संबधति संवैधानकि प्रावधान

मेन्स के लयः

राज्यपाल-राज्य के बीच संबंधों को लेकर वविाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के राज्यपाल ने मंत्रियों को चेतावनी दी कि मंत्रियों के व्यक्तगत बयान जो राज्यपाल के कार्यालय की गरमा को कम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रसादपर्यंत का सदिधांतः

वषयः

- प्रसादपर्यंत के सदिधांत की उत्पत्त अंग्रेजों के कानून से हुई जिसके अनुसार, एक सविलि सेवक क्राउन के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- अनुच्छेद 310 के तहत सविलि सेवक यथा- रक्षा सेवाओं, सविलि सेवाओं, अखलि भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र/राज्य के तहत सैन्य पदों या सविलि पदों पर नयुक्त व्यक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत जैसा भी मामला हो, पद धारण करते हैं।
- अनुच्छेद 311 इस सदिधांत पर प्रतबंध लगाता है और सविलि सेवकों को उनके पदों से मनमानी बर्खास्तगी के खलिाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
 - यदा प्राधकिरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया है या उसे हटाने के लयि संतुष्ट है अथवा यदा राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हति में जाँच करना व्यावहारकि या सुवधाजनक नहीं है, तब कसिी प्रकार के जाँच की आवश्यकता नहीं होती है।
- संवधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नयुक्त राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नयुक्त राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
 - इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक संवैधानकि योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नयुक्त किया जाता है, संदर्भति 'प्रसादपर्यंत' का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार के रूप में भी लयिा जाता है, न कि राज्यपाल का। संक्षेप में कसिी भारतीय राज्य का राज्यपाल स्वयं कसिी मंत्री को नहीं हटा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का नज़रयिा:

- शमशेर सहि बनाम पंजाब राज्य (1974):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अन्य शक्तियों एवं कार्यपालकि के संरक्षक हैं, "कुछ असाधारण परस्थितियों को छोड़कर, अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारकि संवैधानकि शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- नबाम रेबयिा बनाम उपाध्यक्ष (2016):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बी आर अम्बेडकर की टपिणयियों का सहारा लेते हुए कहा "संवधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जसिें वह स्वयं नषिपादति कर सकता है। चूँकि राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है लेकनि उसके कुछ कर्तव्य हैं और सदन को इस बात को ध्यान में रखना चाहयि।"
 - वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फ़ैसला दिया था कि राज्यपाल के वविक के प्रयोग से संबधति अनुच्छेद 163 सीमति है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या कालपनकि नहीं होनी चाहयि। अपनी कार्रवाई के लयि राज्यपाल के पास तर्क होना चाहयि तथा यह सद्भावना के साथ की जानी चाहयि।
- महाबीर प्रसाद बनाम प्रफुल्ल चंद्र 1969:
 - यह मामला अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की प्रकृति के प्रश्न के इर्द-गर्दि घूमता है।

- अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता अनुच्छेद 164(2) के अधीन है। इस प्रकार राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की वापसी को मंत्रालय हेतु अधिनसभा के समर्थन की वापसी के साथ मेल खाना चाहिये।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - वह राज्य की मंत्रपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
 - इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिये पात्रताएँ हैं-
 - वह भारत का नागरिक हो।
 - आयु कम-से-कम 35 वर्ष हो।
 - संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिये।
 - लाभ का पद धारण न करता हो।
- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कृष्णमदान और दंडवरीम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
- कुछ विकासशील शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधायक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधायक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)
- राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंध के बीच विवाद के तत्त्व:

- राज्यपाल की परिकल्पना एक गैर-राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है, जिसे मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये। हालाँकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ विकासशील शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये:
 - राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधायक को स्वीकृति देना या रोकना,
 - किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिये आवश्यक समय का निर्धारण, या
 - आमतौर पर किसी चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद बहुमत साबित करने के लिये सबसे पहले किस पार्टी को आमंत्रित करना है।
- राज्यपाल और राज्य के बीच मतभेद होने पर सार्वजनिक रूप से इसकी भूमिका के बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही पद पर बना रह सकता है।
 - वर्ष 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिये इसकी नरितरता आवश्यक है।
 - ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल परायः केंद्रीय मंत्रपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।
- संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दिशा-निर्देश नहीं है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कतिने समय तक किसी विधायक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रपरिषद की सफ़ारिशों का आधार बनाती है।

राज्यपालों द्वारा नभाई गई कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका से संबंधित चर्चाओं को दूर करने के लिये किये गए प्रयास:

- राज्यपालों के चयन के संबंध में परिवर्तन:
 - वर्ष 2000 में अटल बहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये।
- सरकारिया आयोग का प्रस्ताव:
 - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने प्रस्ताव दिया कि राज्यपालों के चयन में भारत के उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच परामर्श किया जाना चाहिये।
- पुंछी समिति का प्रस्ताव:
 - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाना चाहिये।
 - पुंछी समिति ने संविधान से "प्रसादपर्यंत के सिद्धांत" को हटाने की सफ़ारिश की, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के खिलाफ रहने वाले मंत्रियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर राज्यपाल के अनुमोदन के अधिकार का समर्थन किया।
 - इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया।

आगे की राह

- यद्यपि राज्यपाल वधियक की वषिय-वस्तु से भन्नि हो सकते हैं और उपलब्ध संवैधानिक वकिल्पों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग उन कानूनों को रोकने के लिये नहीं करना चाहिये जो उनके लिये अनुचित हैं।
- यह इस सिद्धांत को लागू करने का समय है कि एम.एम. पुंछी आयोग, जसिने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की, ने सफिराशि की **करीज्यपालों पर कुलपतियों की भूमिका का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये।**
- राज्यपालों का मानना है कि वे संवैधान के तहत जो कार्य करते हैं, वे अतरिजति प्रतीत होते हैं। उनसे संवैधान की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है और वे नरिवाचति शासनों को संवैधान का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे नरिणय लेने हेतु समय-सीमा की अनुपस्थिति और समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करने के लिये उन्हें दिये गए वविकाधीन शक्तिका उपयोग कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कसिी राज्य के राज्यपाल को नमिनलखिति में से कौन सी वविकाधीन शक्तियाँ प्रापत हैं? (2014)

1. राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये भारत के राष्ट्रपति को रपिर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्ति
3. राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति कुछ वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिरार्थ सुरक्षति रखना
4. राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिये नयिम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- संवैधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा, सविय उन कार्यों के जनिमें उनके वविक की आवश्यकता होती है।
- भारतीय संवैधान के अनुच्छेद 356 के तहत कसिी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को रपिर्ट भेज सकता है, जसिमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सफिराशि की जा सकती है। यह राज्यपाल को प्रदान की जाने वाली एक वविकाधीन शक्ति है। **अतः कथन 1 सही है।**
- वह मुख्यमंत्री (CM) और अन्य मंत्रियों की नयुक्ति करता है। वे उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नयुक्ति राज्यपाल के वविक पर नहीं होती है। वह केवल औपचारिक रूप से नयुक्ति को मंजूरी देता है। वविक का क्षेत्र मुख्यमंत्री के अधीन आता है **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- राज्यपाल राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति कुछ वधियकों को राष्ट्रपति के वचिरा के लिये सुरक्षति रख सकता है। जहाँ राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा राज्यपाल भी वधियक को सुरक्षति रख सकता है यदि यह संवैधान के प्रावधानों के खिलाफ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है, देश के हति के खिलाफ एवं गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का है आदि। **अतः कथन 3 सही है।**
- वह राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिये नयिम बनाता है और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करता है लेकिन यह शक्ति राज्यपाल के वविक के अधीन नहीं है। वह मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। **अतः कथन 4 सही नहीं है।**

अतः वकिल्प (b) सही है।

प्रश्न. क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) उपराज्यपाल और दलिली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2018)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधियी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को वधियिका के समक्ष रखे बिना पुनः प्रख्यापति करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

